Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter:, 4, Institutional Area, JhalanaDoongri, Jaipur-302004

Phone:0141-2716800,2716816 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free Help Line No. : 18001806127 Ext. 7

क्रमांकः एफ.I (52)/रा.प्र.नि.मं./स्था./ दिनांकः

परिपत्र

विषयः– राज्य मण्डल के समस्त कर्मचारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वयं द्वारा भरने के सम्बन्ध में।

कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.06.2021 की अनुपालना में राज्य मण्डल के समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों को अपनी अचल सम्पति का विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वयं द्वारा भरने हेतु निर्देशित किया जाता है। राज्य मण्डल में कार्यरत समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान है।

अतः सभी प्रभारी अधिकारियों/क्षेत्रीय कर्मचारियों को निम्नाकिंत बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि इस संबंध में संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों को इन बिन्दुओं की पालना करने हेतु सुनिश्चित करावें:–

1. राज्य मण्डल में कार्यरत समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा प्रति वर्ष 01 जनवरी को स्थिति मे अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वयं कर्मचारी द्वारा पूर्ति कराई जानी है। 31 जनवरी पश्चात् IPR MODULE पर अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरे जायेंगें।
2. प्रभारी अधिकारियों/क्षेत्रीय अधिकारियों को यह निर्देशित दिया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों को निर्धारित समय में अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर पर पूर्ति करने हेतु निर्देशित करें।
3. राज्य मण्डल के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2020 (01 जनवरी 2021 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण व उसके पश्चातवर्ती वर्षो का अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर पर 31 अगस्त 2021 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है।
4. समस्त राज्य मण्डल कर्मचारियों को SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन–लाईन IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित राज–काज हैल्पडेस्क/प्रभारी अधिकारी–आई.टी. शाखा से सम्पर्क कर सकते है।

उपर्युक्त बिन्दुओं में वर्णित कर्मचारियों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण उपर्युक्त समय सीमा में नही भरने की स्थिति में राज्य मण्डल द्वारा उनको विजीलेन्स कलीयरेन्स नहीं दी जावेंगी एवं पदौन्नति का परिलाभ व वेतन वृद्वि भी नहीं दी जावेंगी।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

ED

(डॉ. गोबिन्द सागर भारद्वाज)
सदस्य सचिव

क्रमांकः एफ.I (52)/रा.प्र.नि.मं./स्था./ 848-853 दिनांकः 8/7/21

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. अति. निजी सचिव, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
3. CEE/CAO/CSO/DDO, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
4. समस्त प्रभारी अधिकारी, मण्डल मुख्यालय, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, रा.प्र.नि.मं.,...।
6. मुख्य पत्रावली/सूचना पट्ट, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

सदस्य सचिव
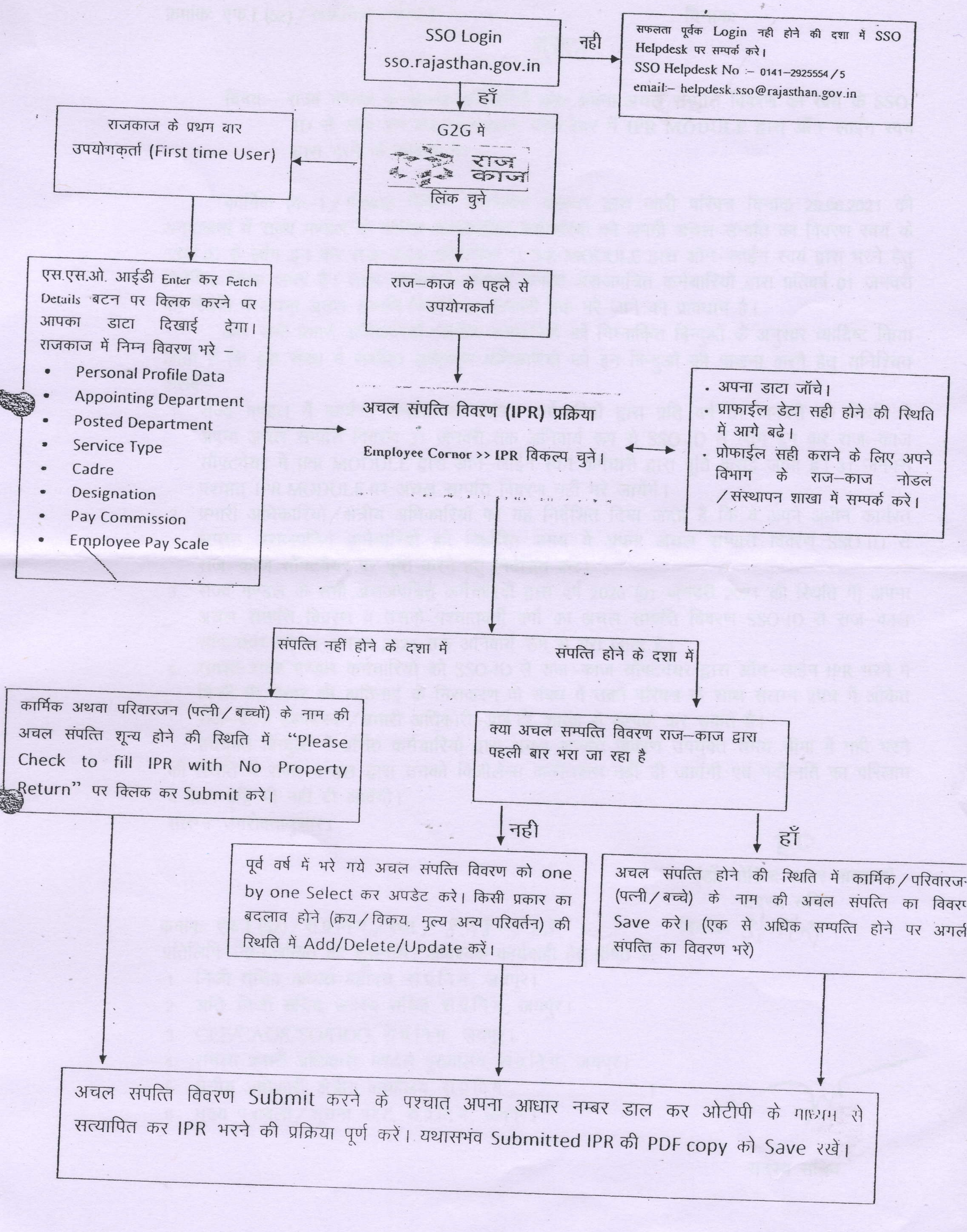
अचल संपत्ति विवरण (Immovable Property Return)